

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारी:- सुनीता मीना आर.ए.एस
उनवान

गुरुदयाल पुत्र नत्थी जाति जाटव निवासी भैसा पट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम
(वादी)

बनाम

1. किरणदेई पुत्री कंचन
2. द्रोपती पुत्री कंचन
3. रामकली पुत्री कंचन
4. विशम्भर दयाल पुत्र कंचन
5. सोहनसिंह पुत्र कंचन
6. पूरणदेई पत्नि जगदीश प्रसाद
7. मुकन्दी लाल पुत्र बाल्या
8. रामसिंह पुत्र बाल्या
जातियान जाटव निवासीयान भैसा पट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम।
9. रामेश्वर प्रसाद पुत्र बाल्या जाति जाटव निवासी भैसा पट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम
(फौत)
9/1 रामदेई पत्नि रामेश्वर प्रसाद
9/2 सुरेन्द्र पुत्र रामेश्वर प्रसाद
9/3 योगेन्द्र उर्फ बाबी पुत्र रामेश्वर प्रसाद
9/4 अनु पुत्री रामेश्वर प्रसाद
9/5 पिन्की पुत्री रामेश्वर प्रसाद
10. मुरारी पुत्र सुखचन्द्र लाओलाद फौत
11. विश्राम पुत्र रामखिलाडी
12. सोनी पत्नि सामन्ता
13. हरगिलास पुत्र सामन्ता
समस्त जातियान जाटव निवासी भैसा पट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम।
14. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा बौल तहसील टोडाभीम।
15. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा करीरी तहसील टोडाभीम।
16. तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0:- 81/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई श्री राजकुमार सिंह
राजादत एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता
है, व ग्राम भैसा पट्टी खुर्द की आराजीयात मे निम्नानुसार डिक्री दी जाती है कि:-

क्र0स0	नाम खातेदार कार्तकार	ख0न0	रकवा
1	गुरुदयाल पुत्र नत्थीलाल जाति जाटव सा.ग्राम खातेदार	511 512 513 514/1 कुल किता 4	0.19 है0 0.04 है0 0.05 है0 0.01 है0 0.29 है0

(सुनीता मीना)

न्यायमय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
पीठासीन अधिकारी

2	किरणदेई, द्रोपदी, रामकली पुत्रीया कंचन हि.ब. 69/398, विशम्भरदयाल, सोहनसिंह पि0 कंचन हि.ब.10/199, किलाण पुत्र रामजीलाल हि. 57/796, पूरणदेई पत्नि जगदीश प्रसाद हि. 57/796, मुकन्दीलाल, रामसिंह पि0 बाल्या हि.ब. 38/199, मुरारी पुत्र सुखचन्द हि. 14/199, मोहनसिंह पुत्र श्यामलाल हि. 25/398, विश्राम पुत्र रामखिलाडी हि0 57/398, हरगिलास पुत्र सामन्ता हि. 14/199, रामदेई पत्नि रामेश्वर, सुरेन्द्र, योगेन्द्र उर्फ बाली पि0 रामेश्वर, अनु, पिकी पुत्रीया रामेश्वर हि.ब. 19/199 जाति जाटव सा.देह खातेदार	303 304 305 305/1229 306 307 413 414 489 490 497 498 499 508 509 510 514/2	0.14 है0 0.09 है0 0.27 है0 0.15 है0 0.15 है0 0.11 है0 0.30 है0 0.24 है0 0.04 है0 0.06 है0 0.09 है0 0.07 है0 0.04 है0 0.04 है0 0.01 है0 0.04 है0 0.15 है0
	कुल किता	17	1.99 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक-दूसरे के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नही करे

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.08.2024 को जारी की गई।

(सुनाता मीना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगामुर सिटी



	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी, दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकाले सुमा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह संकृत			महनताना वकील		
महानताना वकील			खर्चा गवाहान		

उनवान- गुरुदयाल बनाम किरण देई

व उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

.1 / 2022

दिनांक:- 20.05.2022

पीठासीन अधिकारी:- सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

गुरुदयाल पुत्र नत्थी जाति जाटव निवासी भैसा पट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम
(वादी)

बनाम

1. किरणदेई पुत्री कंचन
2. द्रोपती पुत्री कंचन
3. रामकली पुत्री कंचन
4. विशम्भर दयाल पुत्र कंचन
5. सोहनसिंह पुत्र कंचन
6. पूरणदेई पत्नि जगदीश प्रसाद
7. मुकन्दी लाल पुत्र बाल्या
8. रामसिंह पुत्र बाल्या
जातियान जाटव निवासीयान भैसा पट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम।
9. रामेश्वर प्रसाद पुत्र बाल्या जाति जाटव निवासी भैसा पट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम
(फौत)
9/1 रामदेई पत्नि रामेश्वर प्रसाद
9/2 सुरेन्द्र पुत्र रामेश्वर प्रसाद
9/3 योगेन्द्र उर्फ बाबी पुत्र रामेश्वर प्रसाद
9/4 अनु पुत्री रामेश्वर प्रसाद
9/5 पिन्की पुत्री रामेश्वर प्रसाद
10. मुरारी पुत्र सुखचन्द लाओलाद फौत
11. विश्राम पुत्र रामखिलाडी
12. सोनी पत्नि सामन्ता
13. हरगिलास पुत्र सामन्ता
समस्त जातियान जाटव निवासी भैसा पट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम।
14. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा बौल तहसील टोडाभीम।
15. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा करीरी तहसील टोडाभीम।
16. तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:- श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट वादी

निर्णय

दिनांक 28.08.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भैसा पट्टी खुर्द की आराजी ख0न0 303/0.14, 304/0.09, 305/0.27, 305/1229/0.15, 306/0.15, 307/0.11, 413/0.30, 414/0.24, 489/0.04, 490/0.06, 497/0.09, 498/0.07, 499/0.04, 508/0.04, 509/0.01, 510/0.04, 511/0.19, 512/0.04, 513/0.05, 514/0.16 कुल कित्ता 20 कुल रकवा 2.28 है0 मे वादी 1/8 हिस्से का रिकार्डड


(सुनीता मीना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

21/2022

उपनाम- गुरुदयाल बनान किरन देई

खातेदार कार्तकार है तथा शेष हिस्से के प्रतिवादीगण जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार कार्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादी तथा प्रतिवादीगण ने आराजीयात का बहानी बटवारा कर रखा है तथा अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर कार्त कर रहे हैं। प्रतिवादीगण आये दिन वादी के हिस्से व कब्जे की डौल नेड को तोड़ते रहते हैं तथा मना करने पर झगडा करने पर उतारु हो जाते हैं। जिससे आये दिन विवाद बना रहता है।

बौका दिनांक 10.05.2022 को प्रतिवादीगण से तहसील में चलकर बटवारा कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया जिस कारण यह दावा हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है।

खातेदार प्रतिवादी न0 9 फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी न0 9/1 ता 9/5 है। जो मृतक के तर्के पर काबिज है।


अतः दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण बावत् तकास्मा प्राथमिक डिक्की किया जाकर ग्राम भैसा पट्टी खुर्द की आराजी ख0न0 303/0.14, 304/0.09, 305/0.27, 305/1229/0.15, 306/0.15, 307/0.11, 413/0.30, 414/0.24, 489/0.04, 490/0.06, 497/0.09, 498/0.07, 499/0.04, 508/0.04, 509/0.01, 510/0.04, 511/0.19, 512/0.04, 513/0.05, 514/0.16 कुल कित्ता 20 कुल रकवा 2.28 है0 में तहसीलदार टोडामीन को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बटवारा स्कीम तलब फरमाई जाकर बाद प्राप्ति बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिक्की किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के हिस्से की आरजी को शांतिपूर्वक कार्त करने देवे। किसी प्रकार का निर्माण ना करे, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी न0 17 पैरोकार सरकार उपस्थित, शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दावा बाद सुनवाई दिनांक 31.07.2024 को प्राथमिक डिक्की किया जाकर तहसीलदार टोडामीन से बटवारा स्कीम तलब की जाकर शानिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार टोडामीन से प्राप्त बटवारा स्कीम का वादी वकील ने अवलोकन कर अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार टोडामीन द्वारा मुताबिक रिकार्ड व कब्जेकार्त अनुसार बटवारा स्कीम पेश की है अतः मुताबिक बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्की कर दिया जावे।

वादी वकील की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली में शामिल दस्तावेजो, व बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। तहसीलदार टोडामीन द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार व कब्जेनुसार तैयार की गई है। तथा उभयपक्ष वकील ने भी अपनी बहस में भी कथन किया है कि तहसीलदार टोडामीन द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्की कर दिया जावे। अतः वादपत्र में वर्णित आराजीयात ग्राम भैसा पट्टी खुर्द में बटवारा स्कीम के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिक्की किया जाता है।

क्र0स0	नाम खातेदार कार्तकार	ख0न0	रकवा
1	गुरुदयाल पुत्र नत्थीलाल जाति जाटव सा.ग्राम खातेदार	511	0.19 है0
		512	0.04 है0
		513	0.05 है0
		514/1	0.01 है0
		कुल कित्ता 4	0.29 है0




(सुनीता मोना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन महायक कलकत्ता
टोडामीन, जिला-गंगापुर सिटी

क्र.सं.	विशेषण	प्रमाण	कि.मि.	मूल्य
800	विश्वामय्यालय, श्रीमद्विठ्ठल मठ, अहमदनगर	10/100	0.14	₹0
801	विश्वामय्यालय, श्रीमद्विठ्ठल मठ, अहमदनगर	10/100	0.09	₹0
802	विश्वामय्यालय, श्रीमद्विठ्ठल मठ, अहमदनगर	10/100	0.27	₹0
803	विश्वामय्यालय, श्रीमद्विठ्ठल मठ, अहमदनगर	10/100	0.15	₹0
804	विश्वामय्यालय, श्रीमद्विठ्ठल मठ, अहमदनगर	10/100	0.15	₹0
805	विश्वामय्यालय, श्रीमद्विठ्ठल मठ, अहमदनगर	10/100	0.11	₹0
806	विश्वामय्यालय, श्रीमद्विठ्ठल मठ, अहमदनगर	10/100	0.50	₹0
807	विश्वामय्यालय, श्रीमद्विठ्ठल मठ, अहमदनगर	10/100	0.24	₹0
808	विश्वामय्यालय, श्रीमद्विठ्ठल मठ, अहमदनगर	10/100	0.04	₹0
809	विश्वामय्यालय, श्रीमद्विठ्ठल मठ, अहमदनगर	10/100	0.08	₹0
810	विश्वामय्यालय, श्रीमद्विठ्ठल मठ, अहमदनगर	10/100	0.09	₹0
811	विश्वामय्यालय, श्रीमद्विठ्ठल मठ, अहमदनगर	10/100	0.07	₹0
812	विश्वामय्यालय, श्रीमद्विठ्ठल मठ, अहमदनगर	10/100	0.04	₹0
813	विश्वामय्यालय, श्रीमद्विठ्ठल मठ, अहमदनगर	10/100	0.04	₹0
814	विश्वामय्यालय, श्रीमद्विठ्ठल मठ, अहमदनगर	10/100	0.01	₹0
815	विश्वामय्यालय, श्रीमद्विठ्ठल मठ, अहमदनगर	10/100	0.04	₹0
816	विश्वामय्यालय, श्रीमद्विठ्ठल मठ, अहमदनगर	10/100	0.15	₹0
817	विश्वामय्यालय, श्रीमद्विठ्ठल मठ, अहमदनगर	10/100	1.99	₹0

सर्वतः शून्य अनुसार ज्वालनार काश्तनगर घोषित किया जाता है। चम्पा देव की प्रति निर्भय को साथ सलम रहेगी। समझना को श्वाह विवेचना ही पात्रन किया जाता है कि एक-दूसरे को कच्चे काश्त में मजामगत मसामलत नहीं करें। पत्नी दिवंगी जारी हो

निर्भय साथ दिनांक 28.08.2022 को खुले आशालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(सुनीता शर्मा)

समस्वण्ड अधिकारी एवं मुख्य सहायक कलक्टर
 श्रीमती सुनीता शर्मा, जिला-गंगापूर सिटी

(प्रतिवादीगण)

गायी निषेधाज्ञा

मु0न0:- 81 / 2022

गाल कतई रूबई श्री राजकुमार सिंह
मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता
सार डिकी दी जाती है कि:-

	ख0न0	रकवा
सा.ग्राम	511	0.19 है0
	512	0.04 है0
	513	0.05 है0
	514 / 1	0.01 है0
	कुल कित्ता 4	0.29 है0

(५)

(सुनता मीना)

य उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
दोडाभीम, जिला-गंगापूर सिंधी